

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2019

No. 25/2019-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 871(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017. In the said notification, in the Table, against serial number 26, in column (3), in item (ic), the following Explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation- For the purposes of this entry, the term “bus body building” shall include building of body on chassis of any vehicle falling under chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.”

[F. No. 354/150/2019-TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 19/2019-Integrated Tax (Rate), dated the 30th September, 2019 vide number G.S.R. 730(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2019

सं. 26/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 872(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (14 का 2017) की धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ig) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:—

“स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, “बस की बॉडी बिल्डिंग” में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी”

[फा. सं. 354/150/2019-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.नि. 732(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।